राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.

राजस्थान महिला निधि

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd

3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005

(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)

GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

F1(7) RD/RMN/2025-26/3716-22 दिनांक: 19/02/2026

खुली निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

राजस्थान महिला निधि प्रधान कार्यालय में जॉब बेसिस सपोर्ट स्टॉफ (कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन एंव बहुउद्देषीय कार्यकर्त्ता) की सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी तथा अधिकृत प्लेसमेन्ट एजेन्सी/कंपनियों/फर्मो /एकल स्वामित्व आदि से कार्यालय की ओर से खुली निविदा उपापन प्रक्रिया ऑफलाइन के माध्यम से निम्न प्रकार आमंत्रित की जाती है-

क्र सं	सामग्री का विवरण	अनुमानित राशि	निविदा प्रतिभूती राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र अपलोड की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जॉब बेसिस सपोर्ट स्टाफ (कम्प्यूटर ऑपरेटर एंव बहुउद्देषीय कार्यकर्त्ता) उपलब्ध कराने के लिए हायरिंग एजेंसी	4,50,000/- (सभी करों सहित)	9000/-	500/-	19/02/2026 Till 05:30 PM	25/02/2026 Till 3:00 PM	25/02/2026 05:PM

1- खुली निविदा उपापन प्रक्रिया ऑफलाइन ही प्राप्त की जावेगी ।

2- निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज यथा - निविदा दस्तावेज मय निविदा लगाने वालों के लिए अनुदेश, नियम एंव शर्तें, का पालन किया जायेगा ।

3- निविदा प्रपत्र शुल्क एंव बिड सिक्योरिटी के DD, Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd., Jaipur, के पक्ष में देय होंगे ।

4- राजस्थान महिला निधि प्रधान कार्यालय निविदादाताओं के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।

5- निविदादाताओं को राजस्थान महिला निधि द्वारा चाहे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

6- निविदादाता हस्ताक्षर किये गए निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर (पृष्ठ 1 से 24) तथा वांछित दस्तावेजों पर भी अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर करेंगे । प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित करेंगे । तत्पश्चात उसके अनुरूप ही ANNEXURE-4 (निविदा दस्तावेज के पृष्ठ पर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

संख्या 16 पर उपलब्ध) को अपने लैटर पैड पर पूर्ण व् सही रूप से भरेंगे । समस्त वांछित दस्तावेज सभी पूर्तियां किये जाने उपरांत निविदादाता द्वारा कार्यलय में प्रस्तुत करने होंगे, उसके अभाव में निविदा अमान्य होने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी ।

7- निविदा की अन्य शर्तें/ दस्तावेजों राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in व https://mahilanidhi.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं तथा अन्य सुचना इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है ।

डॉ. पूजा शर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान महिला निधि

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, राजीविका।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग राजस्थान ।
4. निजी सहायक, मुख्य परिचालन प्रबंधक, राजीविका ।
5. निदेशक, सुचना एंव जनसंपर्क विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर लेख है कि न्यूनतम साईज में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर बिल तीन प्रतियों में मय अनुमोदित दरों की प्रति भिजवायें।
6. राज्य परियोजना प्रबन्धक (उपापन), राजीविका।
7. नोटिस बोर्ड।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान महिला निधि

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

निविदा की शर्ते

1. सेवा एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर 5.00 लाख रूपये होना आवश्यक है इसके लिए गत तीन वर्षो की सी.ए की अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न करनी होगी अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
2. सेवा प्रदाता फर्म का सर्विस टैक्स विभाग, रोजगार कार्यालय श्रम विभाग, पी.एफ विभाग, ई.एस.आई. विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इनके अभाव में संबंधित फर्म की निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
3. सेवा प्रदाता कम से कम 3 साल (दिनांक 01 अप्रेल 2022) से सर्विस प्रदाता के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा निरस्त समझी जावेगी।
4. संस्था/फर्म अन्य विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही होनी चाहिए।
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
7. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन सस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की सतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
8. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्य सम्बन्धित संवेदक का होगा।
9. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना में समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

10. संवेदक को राज्य केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
11. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह वो बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
12. श्रम निधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमा, उपनियमो अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समत्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए, जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को वर्जित / Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
17. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
18. संस्था / फर्म को सभी कार्मिको को ESI/PF से संबधित कार्ड / पासबुक भी जारी करने होंगे।
19. केवल तकनीकी रूप से सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
20. निविदा बाल पेन से स्पष्ट रूप से भरी जावे। करेक्टिंग फल्यूड का इस्तेमाल न कर प्रत्येक कटिंग या ओवर राईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करें। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सील लगावें।
21. सफल निविदादाता को विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संपादित किया जायेगा। स्टाम्प पेपर निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
22. निविदा के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति राशि रूपये 9000/- का **DD Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-Operative Federation Ltd- Payable at jaipur** के नाम देय होगा जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
23. सफलतम निविदादाता को निविदा राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जो कि बोली प्रतिभूति राशि रूपये 9000/- में से समायोजित की जा सकेगी। सिक्यूरिटी राशि कार्यालय में जमा करानी होगीं। यह राशि अनुबन्धकर्त्ता द्वारा सफलतापूर्वक अनुबन्ध समाप्त करने के पश्चात वापस लौटाई जायेगी।
24. उक्त दरें अनुबन्ध अवधि से वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति तक के लिए विधि मान्य होगी। उक्त अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाएें प्रदान करने पर नियमानुसार बढाया भी जा सकता है।
25. सेवाओं सम्बन्धी शैक्षणिक योग्यता, कुशलता, अनुभव में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नही होगी।
26. निविदा में उल्लेखित सेवाओं की संख्या में से कम / अधिक संख्या में सेवायें प्राप्त करनें का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान महिला निधि का होगा।
27. कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सेवार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान महिला निधि अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियें द्वारा बताये जाने वाले सेवा सम्बंधी कार्य करने होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

28. जो भी व्यक्ति सेवा हेतु उपलब्ध करायें जायेगें उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान महिला निधि के कार्यालय में कार्य दिवस में प्रातः 9:00 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांय 6:00 बजे तक उपस्थित रहकर निर्धारितं सेवा प्रदान करनी होगी।

29. यदि सेवा–सम्बंधी कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है तो उक्त सेवा/सेवाओं को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।

30. सेवा प्रदान करने वाले सेवार्थी का कार्य यदि संतोषजनक नही होगा तो विभाग द्वारा दिये गये निर्देश पर तत्काल उसके स्थान पर अन्य सेवार्थी तीन दिवस के अधिकतम समय में उपलब्ध करवाना होगा।

31. सेवा प्रदान करने वाले सेवार्थियों का साप्ताहिक/राजपत्रित अवकाश देय होगा।

32. अनुबंधकर्ता के स्तर से उपलब्ध कराये गये सेवार्थियों का चाल–चलन /चरित्र अच्छा होना चाहिए एवं उनके सम्बन्ध में अनुबन्धकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

33. अनुबन्धकर्ता के स्तर से उपलब्ध करायी गयी जॉब बेसिस सेवाओं के पारिश्रमिक राशि का भुगतान विभाग द्वारा अनुबन्धकर्ता को ही किया जायेगा। भुगतान के सम्बन्ध में विभाग को सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नही होगा।

34. अनुबन्धकर्ता, सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु किसी अन्य को अनुबन्ध सब–लेट नही करेगा।

35. अनुबन्धकर्ता, द्वारा समय पर सेवाएं उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में अनुपस्थित कार्मिक के दैनिक मानदेय का दोगुना की वसूली विभाग द्वारा मासिक बिल से की जायेगी।

36. यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषप्रद नही होता है अथवा अनुबन्धकर्ता द्वारा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

37. यदि अनुबन्धकर्ता अनुबंधित सेवाऐं प्रदान करने में असमर्थ है तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान महिला निधि को न्यूनतम दो माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है जिससे कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। ऐसा नही करने पर अनुबन्धकर्ता की सिक्यूरिटी (सुरक्षा) राशि जब्त कर ली जायेगी।

38. अनुबन्धकर्ता को जब कभी भी वार्ता हेतु बुलाया जाये तो उसे कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

39. उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं हेतु रखे गये सेवार्थी में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

40. उपलब्ध करवाई गई सेवाओं हेतु रखे गये सेवार्थी के राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पी. एफ. व ई एस. आई. अन्य समस्त कानूनी दायित्व अनुबन्धकर्ता/सेवायें उपलब्ध करावाने वाली संस्था के होगें। विभाग का इस बाबत कोई दायित्व नही होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

41. प्रस्तुत किये गये बिलों में वैधानिक कटौतियों यथा टी.डी.एस.व अन्य नियमानुसार लागू करों की कटौतीया की जायेगी।
42. संस्था का सेवाकर हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। विभाग द्वारा देय सेवाकर की राशि संबंधित विभाग में निर्धारित समयावधि में जमा कराने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
43. विवाद में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
44. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान महिला निधि को बिना कारण बताये निविदा को स्वीकार करनें/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
45. निविदादाता द्वारा प्रत्येंक माह की 1 तारीख को संविदा बिल प्रस्तुत करना होगा अवकाश की दशा में अगले कार्यदिवस को संविदा बिल प्रस्तुत करना होगा।
46. अनुबन्धकर्त्ता द्वारा दिये गये व्यक्ति परियोजना में स्थाई रूप से कार्य करने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।
47. अनुबन्धकर्त्ता द्वारा वित्तीय प्रपत्र में सेवाओं के लिए कार्मिको को निर्धारित मानदेय RTGS अनुसार ही भुगतान किया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित मानदेय से कम भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सेवा शर्तो का उल्लंघन करने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।
48. अनुबन्धकर्त्ता द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक सभी सेवार्थियों को भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा, राजस्थन महिला निधि से भुगतान प्राप्त होने को सेवार्थियों के भुगतान से सम्बद्ध नही किया जावेगा।
49. वित्त विभाग के परिपत्र सं. **F.2(1)/Fin./SPFC/2017 दिनांक 30.4.2018 तथा श्रम विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 13.12.2024 के प्रावधान इस निविदा के लिये लागू होगे।**
50. निविदादाता को Annexure-1 पर उपलब्ध कार्मिको पर **सर्विस चार्जेज की प्रतिशत दर, जो कि पूर्णांक में होगी, वित्तीय प्रपत्र में अंकित करनी होगी। सर्विस चार्ज दशमलव भिन्न में नहीं होनी चाहिए।**
51. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दर समान है तो राजस्थान के बोलीदाता, जिनका अंकेक्षित औसत टर्नओवर पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अर्थात 2022–23 2023–24, 2024–25) के दौरान सबसे अधिक है और जिनका मुख्यालय राजस्थान में है, को वित्तीय मूल्यांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
52. राजस्थान महिला निधि प्रबन्ध कार्यकारिणी 21वी. बैठक पत्र क्रमांक F41(2)/RD/RMN/2023/1483-92 - दिनांक 12.03.2025 के एजेण्डा संख्या 3 के प्रस्ताव में लिए गए निर्णय अनुसार राजस्थान महिला निधि में कार्यरत सहायक स्टॉफ डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं मल्टी पर्पज वर्कर के मानदेय में 15 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय की स्वीकृति ली गई है,उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए,इसे पृथक से वेतन के साथ, भुगतान किया जावेगा।
53. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय दस्तावेज अलग–अलग लिफाफो में भरकर एक समुचित लिफाफे में प्रस्तुत किया जावेगा, साथ ही तकनीकी रूप से सफल पाये गए बोलीदाताओं के ही वित्तीय लिफाफे खोले जावेंगे।
54. डाक/कोरियर द्वारा प्राप्त निविदा दस्तावेज मान्य नहीं होगें, अपितु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर निविदा पेटी में डाले गए लिफाफे मान्य किए जायेगें।

✓ हमने निविदा की समस्त शर्ते क्रम संख्या 1 से 54 पढ़ एवं समझ ली है व हमें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

ToR

कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं बहुउदेशीय कार्मिकों की सेवाएं उपाप्त किये जाने के संबंध में।

कम्प्यूटर ऑपरेटर की वांछित योग्यताएँ :–

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं राज्य सरकार से मान्य कोर्स RSCIT /DCA.
2. कम्प्यूटर पर कार्य करने का न्यूनतम अनुभव 6 माह ।
3. हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में टाइंपिग (टंकण) का अनुभव हो।
4. इन्टरनेट, MS-Office पर कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।

बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के वांछित कार्य :–

1. कार्यालय समय पर खोलने एवं बन्द करने का कार्य।
2. कार्यालय टेबल-कुर्सी साफ–सफाई का कार्य करना।
3. डाक एवं पत्रावली सचिवालय एवं संबंधित विभागों को पहुचाने एवं लाने का कार्य करना।
4. जलपान सम्बन्धित व्यवस्था में सहयोग करना।
5. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करना।

उपरोक्त कार्य महज सूचक हैं। उपलब्ध करवाये गये स्टाफ को उच्च अधिकारियों द्वारा बताये गये सभी कार्य करने होंगे।

वित्तीय वर्ष 2026–27 माह मार्च 2026 से फरवरी 2027 तक सेवाएं उपाप्त किये जाने हेतु।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निविदा कार्मिक संख्या	अनुमानित लागत राशि रूपये
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (MAN WITH MACHINE)	1	180000.00
2	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता	2	270000.00
		कुल अनुमानित लागत	450000.00

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

Annexure – 1

Manpower requirements for Rajasthan Mahila Nidhi deployed by the agency

Name of Position	Category of wages	Nos. of post	Wages to be paid per month (without employer's contribution for PF & ESI and without GST)* (in Rs.)	Remark
Computer Operator (Man With Machine)	Highly Skilled	01	9334	As per minimum wages by Labour Department
Multi-Purpose Worker (MPW)	Unskilled	02	7410	
TOTAL		03		

S. No.	Details	Amount (in Rs.)
1.	Total wages cost for 12 months for 03 manpower	2,89,848.00
2.	Statutory obligations (PF, ESI etc.) on current applicable rates (Employer contribution) for 12 months (PF@ 13.00%) & (ESI @ 3.25%)	47,100.00
3.	Total wages amount for on 12 months for 03 manpower	3,36,948.00

*If government increases the minimum wages during the period of this contract being in force, Agency will pay revised minimum wages to manpower.

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज (प्रतिशत)	कुल राशि
		श्रमिको की श्रेणी	मासिक न्यूनतम मजदूरी	श्रमिको की सं.	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Multi-Purpose Worker (MPW)	अकुशल	7410	02	14820	1927	482			
2	Computer Operator Man With Machine	उच्च कुशल	9334	01	9334	1213	303			

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

Financial Bid Document Format

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिशत)	कुल राशि
		श्रमिको की श्रेणी	मासिक न्यूनतम मजदूरी	श्रमिको की सं.	राशि				बिदाता द्वारा भरा जावे	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Multi-Purpose Worker (MPW)	अकुशल	7410	02	14820	1927	482			
2	Computer Operator (Man With Machine)	उच्च कुशल	9334	01	9334	1213	303			

Note: -

i. Zero or negative quoted rates shall not be considered and the bid shall be summarily rejected.

ii. If the rate quoted by bidders is same then the bidder of Rajasthan whose audited average turnover is highest during the last 3 financial years (i.e. 2022-23, 2023-24, 2024-25) and whose headquarter is in Rajasthan will be given priority in financial evaluation.

iii. Statutory charges PF& ESI shall be payable per rules.

iv. The GST shall be paid extra, as per applicable rules.

v. The quoted rate in % above is the rate of management fees on the wages cost of actual deployed manpower.

vi. TDS shall be deducted, as per applicable rules.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

Annexure – 2

तकनीकी निविदा प्रपत्र

सेवा में,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड,
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

विषय :– राजस्थान महिला निधि प्रधान कार्यालय द्वारा जॉब बेसिस सपोर्ट स्टॉफ सेवाओं हेतु जारी निविदा क्रमांक ...., दिनांक ....के क्रम में बोली प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमारी फर्म/एजेन्सी/कंपनी द्वारा जॉब बेसिस सपोर्ट स्टॉफ सेवाओं की आपूर्ति हेतु निम्नानुसार बोली प्रस्तुत की जाती है:–

1	बोलीदाता/फर्म का नाम	
2	फर्म का रजिस्टर्ड पता	
3	फोन/मोबाईल नं.	
4	ई–मेल	
5	फर्म मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता	
6	निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम	
7	हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का संस्था में पद (अधिकृत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे)	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Technical Evaluation Criteria

1. निविदादाता / फर्म द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी :–

क्र. सं.	विवरण	रजि.संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958				
7.	इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

2. निविदादाता / फर्म द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 व 2024–25) में केन्द्र / राज्य के राजकीय विभाग / उपक्रम / स्वायत संस्थाएं / परियोजनाएं / बोर्ड / समिति / आयोग / शिक्षण संस्था / बैंकों में सेवा सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा :–

क्र.सं.	विवरण		
1..	एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर (CA Certified)		
	2022–23		
	2023–24		
	2024–25		
2.	उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की संख्या(Not less than 35 in each financial year; Sweepers will not be considered)		
	2022–23		
	2023–24		
	2024–25		
3	गत तीन वर्षो में संस्था द्वारा सफलतापूर्वक संपादित किये गये अनुबन्धों की संख्या (At least 1 work order should be above 3 Lakhs in each financial year; Sweepers will not be considered)	2022–23	
		2023–24	
		2024–25	

3 मैं / हम राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि. द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न निविदा दस्तावेजों में दी गई उक्त सीमित निविदा आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

4 फर्म/निविदादाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम : ....

संस्था/फर्म का पता मय सील : ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

Annexure -3

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैनें/हमने जिन सेवाओं के लिए निविदा दी है, उनके लिए यदि वह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में जब्त किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.
Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd
3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005
(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)
GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

Annexure - 4

तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची/चैक लिस्ट

क्र.स.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न हा/नही	पेज संख्या
1.	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि डीडी		
2.	निविदा धरोहर/अमानत राशि का डी.डी.		
3.	फर्म रजिस्ट्रेशन की प्रति की छायाप्रति		
4.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की छायाप्रति		
5.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की छायाप्रति		
6.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970		
7.	फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रैशन की प्रति, पैन कार्ड व आयकर विवरण की प्रतियां		
8.	निविदादाता फर्म द्वारा पूर्व में अन्य सरकारी/संस्थाओं को दी गई जॉब बेसिस सेवाओं के कार्य आदेशों/प्रमाण-पत्रों/अनुबन्धों के विवरण की प्रतियां		
9.	निविदादाता फर्म के विगत तीन वर्ष के वित्तीय टर्न ओवर की प्रतियाँ		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.

Rajasthan Mahila Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd

3rd floor, B Block, Udhyog Bhavan, C-Scheme, Jaipur-302005

(Reg No Coop/2022/Jaipur/COS/200818 dt 10-8-2022)

GST No. 08AAJAR0201N1ZI, e-mail: mahilanidhi@rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला निधि

Annexure - 5

अनुबन्ध प्रारूप

यह अनुबन्ध आज दिनांक .... को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान महिला निधि (एतद् पश्चात प्रथम पक्ष) कहा जावेगा), एवं .... (जिन्हें एतद् पश्चात् अनुबन्धकर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जावेगा एवं जिस शब्द में उत्तराधिकारियों, वैध प्रतिनिधि तथा अनुयित अभिहस्तांकित सम्मिलित है।)

इस अनुबन्ध की शर्ते निम्नप्रकार से हैं:–

1. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्धकर्त्ता को निविदा में वर्णित सेवाओं के लिए निर्धारित मानदेय के साथ .... % (Service Charge) + GST +ESI + PF सेवा शुल्क दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जावेगा।
2. निविदा दस्तावेज में अंकित शर्ते क्रम संख्या 01 से 54 भी यथावत लागू होगी।
3. इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक .... से .... (....... Months) तक होगी। आपसी सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सेवा संतोषजनक प्रमाण–पत्र व परिषद की इच्छा के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है। इस हेतु परिषद को अवधि समाप्ति से पूर्व एस.एम.डी./CEO को प्रार्थना पत्र देना होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ---------को अपने हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
(....)	( )
राजस्थान महिला निधि	....
जयपुर	--
(प्रथम पक्षकार)	(द्वितीय पक्षकार)

गवाह :–

1.

2.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1.

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc l

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc I

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc I

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Doc I

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Doc I

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

 स्टाम्प